कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी

पत्रांक 488 / कार्य-2 / 31 दिनांक 27/4/2026

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
अमेठी।

विषय: दैनिक जागरण में प्रकाशित अमेठी पेयजल संकट संबंधी समाचार के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए विभाग की ओर से वास्तविक स्थिति निम्नलिखित है:

1. **क्षेत्राधिकार स्पष्टीकरणः**—समाचार में वर्णित नगर पालिका गौरीगंज के वार्ड 'जल निगम ग्रामीण' के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह क्षेत्र जल निगम (नगरीय/Urban) के कार्यक्षेत्र में आता है।
2. **पेयजल आपूर्ति की स्थितिः**—तिलोई के खेखरवा ग्रामीण पेयजल योजना में आंशिक रूप से तथा रामपुर पवारा ग्रामीण योजना (ओ0एण्ड0एम0 फेज में जा चुकी है) में नियमित रुप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।
3. **सड़क बहाली (Road Restoration):**—पूरे जनपद में 90% से अधिक रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। विकास खण्ड—सिंहपुर के खारा ग्रामीण पेयजल योजना, विकास खण्ड—गौरीगंज की रामपुर कुड़वा ग्रामीण पेयजल योजना, विकास खण्ड—भादर एवं शाहगढ़ में भी 90% से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
4. **लक्ष्य एवं समय सीमाः**—यद्यपि जल जीवन मिशन (JJM) की अवधि बढ़ाकर वर्ष—2028 तक कर दी गई है, किंतु विभाग आगामी 1—2 वर्षों के भीतर ही जनपद की सभी योजनाओं को पूर्ण कर हर घर तक सुचारू जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त तथ्यों को संज्ञान में लेने की कृपा करें।

भवदीय

A Tripathi

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, अमेठी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, अमेठी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
7. टी0पी0आई0 अमेठी इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त योजना के शेष समस्त कार्य फर्म से समन्वय स्थापित करते हुये दिसम्बर—2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त सम्बन्धित फर्मो को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त योजना के शेष समस्त कार्य 31, दिसम्बर—2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता